राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 362/2014/जयपुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स पेन्टस हाऊस
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
कोई नहीं — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 01.02.2016

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 205/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 75 (6) व 75 (8) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.082012 से कायम राशि रू. 58,231/–को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 28.12.2011 को किया गया। प्रत्यर्थी फर्म का मुख्य कार्य पेन्टस, पेन्ट्स प्रोडक्टस एवं 'जीवन जोर' के वुड फिनिशिंग प्रोडक्टस मेलामाईन, पी.यु. फिनिशिंग आदि के क्रय विक्रय करने का है। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल का भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों एवं फर्म प्रोपराइटर की मौजूदगी मे किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाये गये माल का नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान करने पर 5 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 39,680/– एवं 14 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 1,10,372/– का नियमित लेखा पुस्तकों से अधिक पाये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब 06.08.2012 को पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात लेखा पुस्तकों से अधिक माल पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 75 (6) एवं 75 (8) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 08.08.2012 को पारित कर रू. 58,231/– की मांग कायम की। उक्त कायम की गई मांग से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को उचित नहीं मानते हुए अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

03.09.2013 पारित किया है,जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसाय स्थल का दो गवाहों की उपस्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल का नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान करने पर 5 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 39,680/– एवं 15 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 1,10,372/– का नियमित लेखा पुस्तकों से अधिक पाया गया, जिसके सम्बन्ध में जारी नोटिस के जवाब में कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 75(6) एवं 75 (8) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 पारित कर रू. 58,231/–की मांग सृजित की है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है,जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह कथन किया गया है कि वक्त सर्वेक्षण अभियोजन अधिकारी द्वारा स्टॉक की गणना क्वालिटी वाईज एवं क्वान्टिटी वाईज नही की गयी है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया है और अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल का नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान करने पर 5 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 39,680/– एवं 15 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 1,10,372/– का नियमित लेखा पुस्तकों से अधिक पाया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग पूर्णतया विधिक एवं उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने यह मानकर कि कर निर्धारण अधिकारी ने 5 व 14 प्रतिशत से कर योग्य माल के सम्बन्ध में कोई विगत नही दी गई है,इसलिए सृजित मांग उचित नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद नोटिस तामीली के कोई भी उपस्थित नहीं है इसलिए विभागीय पक्षकार की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2013 का परिशीलन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 28.12.2011 को करने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी फर्म का मुख्य कार्य पेन्टस, पेन्ट्स प्रोडक्टस एवं 'जीवन जोर' के वुड फिनिशिंग प्रोडक्टस मेलामाईन, पी.यु. फिनिशिंग आदि के क्रय विक्रय करने का है।

वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल का भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों एवं फर्म प्रोपराइटर की मौजूदगी मे किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाये गये माल का नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान करने पर 5 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 39,680/– एवं 14 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रू. 1,10,372/– का नियमित लेखा पुस्तकों से अधिक पाये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब 06.08.2012 को पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात लेखा पुस्तकों से अधिक माल पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 75 (6) एवं 75 (8) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 08.08.2012 को पारित कर रू. 58,231/– की मांग कायम की गई है,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपास्त किया गया है।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द जांच पेज संख्या 5 से 10 एवं भौतिक गणना फर्द पत्रावली के पेज 11 से 25 तक पर उपलब्ध है। उक्त फर्द जांच एवं भौतिक गणना फर्द में यह कहीं भी अंकित है कि कौन सा माल का 5 प्रतिशत का है और कौन सा माल 14 प्रतिशत का है। उक्त फर्द से यह भी ज्ञात नहीं होता है कौन सा माल नियमित लेखा पुस्तकों से अधिक पाया गया है। अपीलीय अधिकारी ने भी इसी तथ्य का अंकन अपीलाधीन आदेश में किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 व 14 प्रतिशत से कर योग्य माल के सम्बन्ध में कोई विगत नहीं दी गई है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा माल लेखा लेखा पुस्तकों से अधिक, वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर पाया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है,जिसमें हस्तक्षेप करने का औचित्य इस पीठ के समक्ष नहीं है, क्योंकि बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजीय साक्ष्य एवं सूची पेश नहीं की गई है,जिससे यह ज्ञात हो सके अमुख माल का लेखा पुस्तकों से अधिक पाया गया है और वह 5 या 14 प्रतिशत से कर योग्य है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से, उसे अस्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य